THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT) (SHRIMATI BASAVARAJESHWARI) (a) to (c) Yes, Sir. Section 3 of the Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1992 which came into force from August 1, 1993 states that no person shall advertise or take part in the publication of any advertisement, for the distribution, sale or supply of Infant Milk Substitutes or Feeding Bottles or give an impression or create a brief in any manner that feeding of Infant Milk Substitutes is equivalent to, or better than, mother's milk. It is proposed to designate non-Governmental Organisations as laid down in Section 21(1)(c) of the Act.

(d) Yes, Sir. A workshop was organised by Delhi State Social Welfare Advisory Board on 3rd August, 1993 at New Delhi. The main objective of the Workshop was to create awareness about the provisions of the Act. It was attended by representatives of voluntary organisations, panelists, child specialists, advocates, Government officials and representatives of UN Organisations. The workshop recommended notification of representatives of consumer forums under Section 21(1)(c) of the Act, strengthening of existing infrastructure and social support systems to enable the mothers to breastfeed their children.

विश्व बैंक से सहायता

4539. **श्री बापू कालदाते :**
श्री ब्रह्मदेव आनन्द पांडवान:

क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 मई, 1993 के "राष्ट्रीय सहारा" (दिल्ली संस्करण) के पृष्ठ 12 पर "विश्व बैंक खनन क्षेत्र में सहायता रोक सकता है" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) किन-किन कोयला परियोजनाओं में विलम्ब हो रहा है; और

(घ) विलम्ब को दूर करने के लिये सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) विश्व बैंक की सहायता से आरम्भ की गई चार कोयला खनन परियोजनाओं में से तीन परियोजनाएं, पूरी कर ली गई हैं और केवल ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लि० की सोनपुर बेजारी खुली खान परियोजना पूरी होनी बाकी है। इस परियोजना में आरम्भ भूमि में अधिग्रहण/पुनर्वास की समस्याएं थीं, जो अब समाप्त हो गई हैं और विकास कार्य आरम्भ किए जा चुके हैं।

बैलाडिला क्षेत्र से जापान को लौह-अयस्क की आपूर्ति

4540. **श्री अजीत जोगी :** क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान को बैलाडिला क्षेत्र से लौह-अयस्क की आपूर्ति किए जाने की अवधि कब तक है;

(ख) उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् लौह-अयस्क का उपयोग घरेलू उद्योगों में करने तथा नए लौह एवं इस्पात संयंत्र सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में स्थापित करने की केन्द्रीय सरकार की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो यह योजना कब क्रियान्वित की जाएगी;

(घ) क्या सरकार भविष्य के लिये यह नीतिगत निर्णय लेगी कि ऐसी कच्ची सामग्री से अयस्क इत्यादि जैसी कच्ची सामग्री की अपेक्षा निर्मित मूल्य वर्धित उत्पादों का निर्यात किया जाए ताकि इसको भारत में विशेषकर आगामी पीढ़ियों को बहुमूल्य अयस्क और कच्ची सामग्री की कमी न हो और देश को इसका उचित मूल्य प्राप्त हो सके?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) मध्य प्रदेश के बैलाडिला क्षेत्र से जापान को लौह अयस्क की सप्लाई के लिए वर्तमान करार 1995–96 में समाप्त हो रहा है।

(ख) और (ग) बैलाडिला क्षेत्र से लौह-अयस्क उत्पादन का लगभग आधा भाग घरेलू इस्पात उद्योग द्वारा उपयोग किया जा रहा है। निर्यात के लिए नई प्रतिबद्धता करने से पूर्व घरेलू उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा।

(घ) लोहे और इस्पात जैसे मूल्य वर्धित उत्पादों का निर्यात बढ़ रहा है। 1992–93 में लघु इस्पात उत्पादकों द्वारा 9.1 लाख टन लौह और इस्पात का निर्यात किया गया जबकि 1991–92 में यह 3.86 लाख टन था।

खानों का निजीकरण

4541. **श्री अजीत जोगी**: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का देश में कुछ खानों का निजीकरण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मामले में संबंधित राज्यों से परामर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी नहीं। देश में खनन सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में किया जा रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

Protocol signed with France

4542. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of MINES be plesaed to state:

(a) whether a protocol has recently been signed between his Ministry and Government of France; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) Yes, Sir.

(b) The protocol envisages assistance from France in the areas of copper, gold, lead and zinc exploration and development at selected sites; building up a data base management system for minerals, metals and their trade; building up data base for multi-metal exploration in some green stone belts of South India; and in the natural hazards assessment. In addition to training of personnel and supply of equipments, the protocol also envisages possibilities of taking up joint venture projects and joint consultancy in India and France and also in third countries.

Removal of high officials of NALCO

4543. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether the Chairman and 7 other high officials of NALCO were removed from service recently;